



Neutral Citation No-2026:AHC:5637

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5158 वर्ष 2025

विनोद कुमार और एक अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: चरण सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"i) चकबन्दी अधिकारी, शाहगंज, जौनपुर के दिनांक 19.09.1987 के आदेश के अनुसरण में ग्राम-सरायमोहिउद्दीनपुर, परगना-अंगुली, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर में स्थित नई गाटा संख्या-115ख/0.4051 हेक्टेयर (पुरानी गाटा संख्या-45/11Sa/0.1.00 एकड़) को राजस्व अभिलेखों में आबाद भूमि के रूप में दर्ज करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

ii) प्रतिपक्षी संख्या-3 को धारा 42-का उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम के तहत केस संख्या-32 (विनोद कुमार और अन्य बनाम राज्य) में दायर याचिकाकर्ताओं के दिनांक 19.06.2025 के आवेदन पर निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जो प्रतिपक्षी संख्या-2 (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-2) के समक्ष लंबित है।

3. लंबे विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रार्थना संख्या-2 के लिए अपने तर्क को सीमित कर दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम की धारा 42ए के तहत आवेदन दिनांक 19.09.1987 के आदेश के अनुसरण में अभिलेखों में सुधार के लिए 19.06.2025 से लंबित है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन में एकमात्र ग्राम पंचायत और राज्य प्रतिपक्षी हैं जिनका प्रतिनिधित्व पहले से ही डी.जी.सी. (आर) के माध्यम से किया जा चुका है।

4. उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए जाने की स्थिति में स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (प्रतिपक्षी संख्या-3) को निर्देश देकर, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है, जिसके समक्ष उपर्युक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः निर्णय लेना।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)